राजस्व वाद सं. 1/10/2020 — Revn. 2020/00357

सरकार / देवकरण पुत्र

16/6/2021 — पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश मे बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 11.8.2021 को पेश हो

13/7/2021

वकील प्रतिवादी के द्वारा वकालत नाम एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई, वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 941/750 खातेदारी की आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण प्रतिवादी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है। उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं वादी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये , जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए राजस्व वाद इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रतिवादी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरान की भूमि प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ से रूपान्तरित करवा ले। वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.07.29 17:47:46 IST
Reason: SelfAttested